कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर सीकर

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

फतेहपुर सीकर (राजस्थान),

कं/कृषि अनु.कन्द्र./निविदा/2024/408-10 दिनॉक: 03-09-2024

निविदा प्रपत्र

1. कार्य का नाम व कमांक	**भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था**
2. कार्य की अनुमानित अवधि	वित्तिय वर्ष 2024–25
3. निविदा फार्म का मूल्य	100/– रूप्ये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद
4. कार्य की अनुमानित मात्रा	सस्थांगत व असस्थांगत प्रशिक्षणों में भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतू लगभग 1.99 लाख रू.
5. धरोहर राशि	अनुमानित लागत राशि का 5 प्रतिशत
6. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	03.09.2024 से 09.09.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक
7. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	09.09.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक
8. निविदा खोलने की दिनांक व समय	09.09.2024 को दोपहर 3.30 बजे
9. परिशिष्ट संख्या एक	चाय, नाश्ते व भोजन की दरें

निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता के निविदा छुटनें के पश्चात अनुमानित लागत राशि 1.99 की 5 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवानी होगी। बैंकर चैक/डी.डी. "Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Fatehpur" के पक्ष में देय होगी।
2. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिसपर **"भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था"** लिखा हो को क्षैत्रिय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर को प्रेषित होनी चाहिए।
3. अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोशजनक होने पर आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है।
4. सीलबन्द लिफाफे में निम्नांकित संलग्न दस्तावेज आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा को शामिल नहीं किया जायेगा – निविदादाता/फर्म का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, पैनकार्ड की छायाप्रति, निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित, अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि हो।
5. अनुबंध अवधि के दौरान समय–समय पर होने वाले प्रशिक्षण/बैठक इत्यादि में आदेशानुसार उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों/व्यक्तियों हेतु भोजन, अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था की जानी है। जिसकी सूचना समय–समय पर दी जाती रहेगी।
6. भोजन में शुद्ध एवं अच्छी किस्म की सामग्री (एग्मार्क) का प्रयोग करना होगा तथा मूंगफली व सरसों (डबल रिफाईण्ड) के तेल का प्रयोग करना होगा।
7. सब्जी ऋतु के अनुसार अलग–अलग प्रकार की व ताजा देनी होगी।
8. से अधिक दिवसीय प्रशिक्षणों में प्रतिदिन का मीनू अलग–अलग होगा।
9. भोजन तैयार करने एवं वितरण में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
10. भोजन की व्यवस्था तथा तैयार भोजन की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।
11. भोजन/चाय तैयार करने हेतु समस्त सामग्री व श्रम शक्ति निविदिदाता की होगी।
12. भोजन व्यवस्था/केटरिंग हेतु बर्तन इत्यादि निविदादाता को स्वयं लाने होंगे। जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। खाना खिलाने के लिये व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी। खाना खिलाने के पश्चात् सफाई की व्यवस्था भी निविदादाता को करनी होगी।
13. भोजन वितरण कार्य स्वयं फर्म/ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा।

कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर सीकर

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

फतेहपुर सीकर (राजस्थान),

क्र/कृषि अनु.केन्द्र./निविदा/2024/ 408-10 दिनॉक: 03-09-2024

निविदा प्रपत्र

1. कार्य का नाम व क्रमांक	**भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था**
2. कार्य की अनुमानित अवधि	वित्तिय वर्ष 2024–25
3. निविदा फार्म का मूल्य	100/– रूप्ये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद
4. कार्य की अनुमानित मात्रा	सस्थांगत व असस्थांगत प्रशिक्षणों में भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतू लगभग 1.99 लाख रू.
5. धरोहर राशि	अनुमानित लागत राशि का 5 प्रतिशत
6. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	03.09.2024 से 09.09.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक
7. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	09.09.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक
8. निविदा खोलने की दिनांक व समय	09.09.2024 को दोपहर 3.30 बजे
9. परिशिष्ट संख्या एक	चाय, नाश्ते व भोजन की दरें

निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता के निविदा छुटनें के पश्चात अनुमानित लागत राशि 1.99 की 5 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवानी होगी। बैंकर चैक/डी.डी. "Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Fatehpur" के पक्ष में देय होगी।
2. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिसपर **"भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था"** लिखा हो को क्षैत्रिय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर को प्रेषित होनी चाहिए।
3. अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोशजनक होने पर आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है।
4. सीलबन्द लिफाफे में निम्नांकित संलग्न दस्तावेज आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा को शामिल नहीं किया जायेगा – निविदादाता/फर्म का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, पैनकार्ड की छायाप्रति, निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित, अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि हो।
5. अनुबंध अवधि के दौरान समय–समय पर होने वाले प्रशिक्षण/बैठक इत्यादि में आदेशानुसार उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों/व्यक्तियों हेतु भोजन, अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था की जानी है। जिसकी सूचना समय–समय पर दी जाती रहेगी।
6. भोजन में शुद्ध एवं अच्छी किस्म की सामग्री (एग्मार्क) का प्रयोग करना होगा तथा मूंगफली व सरसों (डबल रिफाईण्ड) के तेल का प्रयोग करना होगा।
7. सब्जी ऋतु के अनुसार अलग–अलग प्रकार की व ताजा देनी होगी।
8. से अधिक दिवसीय प्रशिक्षणों में प्रतिदिन का मीनू अलग–अलग होगा।
9. भोजन तैयार करने एवं वितरण में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
10. भोजन की व्यवस्था तथा तैयार भोजन की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।
11. भोजन/चाय तैयार करने हेतु समस्त सामग्री व श्रम शक्ति निविदिदाता की होगी।
12. भोजन व्यवस्था/केटरिंग हेतु बर्तन इत्यादि निविदादाता को स्वयं लाने होंगे। जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। खाना खिलाने के लिये व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी। खाना खिलाने के पश्चात् सफाई की व्यवस्था भी निविदादाता को करनी होगी।
13. भोजन वितरण कार्य स्वयं फर्म/ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा।

14. भोजन सप्लाई की समस्त व्यवस्था केन्द्र की कमेटी के दिशा निर्देशन में करनी होगी व उनके संतुष्ट होने पर ही भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जा सकता है।
15. भोजन की निम्न गुणवत्ता के कारण यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार/फर्म की होगी।
16. उक्त वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शारित के रूप में कटौतियाँ की जा सकेगी। इस संबंध में क्षैत्रिय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर, सीकर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
17. बिल का भुगतान कोषालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी नही दिया जावेगा।
18. निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शारित की कटौती GG & AR, TTPPA 2012, व RTPPR 2013 के प्रावधानानुसार की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की रहेगी।
19. दर्शित कार्य ठेकेदार/फर्म को कार्यालय के निर्देशानुसार पूर्ण कराने है। असफलता की स्थिति में ठेकेदार/फर्म की जमा धरोहर राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा यह कार्य आपकी रिस्क व कोस्ट पर अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि ठेकेदार/फर्म से वसूलनीय होगी।
20. ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।
21. भोजन की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट अथवा मीनू अनुसार सप्लाई नहीं होने की निरन्तर शिकायत प्राप्त होने की दशा में धरोहर व अमानत राशि जब्त कर निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रधान का होगा।
22. उपायन व पारदर्षिता नियमों के अधीन समयावधि वृद्धि संभव हो सकेगी।
23. कार्य का विभाजन नहीं किया जायेगा। अलग–अलग कार्यो के लिए पृथक–पृथक निविदादाता/फर्म की न्यूनतम दर प्राप्त होने पर न्यूनतम दर का निर्धारण/आंकलन प्राप्त दरों के औसत के आधार से किया जायेगा।
24. ठेकेदार/फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ. वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा जीएसटी आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा। ई.एस.आई. एवं पी.एफ. निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय–समय पर रिकार्ड जॉच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
25. आकस्मिक दुर्घटना की दशा/लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियाँ ठेकेदार/फर्म की होगी।
26. ठेके को किसी अन्य व्यक्ति के हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
27. कार्य की मात्रा/लागत सिर्फ अनुमानित है इसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिसमें निविदादाता को किसी प्रकार विवरण नही दिया जावेगा तथा कार्यालय की शर्तो के अनुरूप कार्य करना होगा।
28. सफल निविदादाता को 50/– रूप्ये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व स्वच्छ एवं ताजा भोजन बनाकर देने व कार्यरत श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/फर्म की होगी, ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
29. निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
30. किसी भी निविदा को विना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
31. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्वीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
32. मैं निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रभारी CIMCA, SKNAU, Jobner को प्रेषित करते हुए लेख है कि निविदा की प्रति को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
2. निविदा समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ ।
3. श्रीमान् प्रभारी तकनीकी सेल/ रोकडिया/सूचना पट्टः कार्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर ।
4. निविदा पत्रावली, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

परिशिष्ट संख्या – 1

निविदादाता द्वारा सस्थांगत व असस्थांगत प्रशि क्षण में सप्लाई किये जाने वाले भोजन का विवरण एवं मीन्यू के अनुसार दरों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का विवरण	निविदादाता द्वारा दी गयी दरें
1.	चाय	
2	साधारण नाश्ता पैकेट – समोसा / कचौडी + एक पीस मिठाई / लड्डू + एक केला + चाय	
3	स्पेशल नाश्ता पैकेट – समोसा / कचौडी + दो पीस मिठाई / लड्डू + दो केला + 30 ग्राम सलोनी / नमकीन / मिक्सर / बिस्किट पेकेट छोटा + चाय	
4	भोजन पैकेट – एक सूखी सब्जी + पूडी 8 नग / रोटी 4 नग + 1 पीस मिठाई + सलाद	
5	साधारण खाना – पूडी / रोटी + सब्जी + दाल + चावल + रायता + एक मिठाई + सलाद + पापड	
6	स्पेशल खाना – पूडी / रोटी (चुपड़ी हुई) + सूखी सब्जी + तरल सब्जी + दाल + चावल + रायता + दो मिठाई + अचार + सलाद + पापड़ + 30 ग्राम आइसक्रीम	
7	कोल्ड ड्रिंक (200 एम एल)	
8	30 ग्राम आइसक्रीम पैकेट	

ठेकेदार के हस्ताक्षर

मय पता व टेलीफोन नं0 सहित